अपील सूचना अधिकार संख्या 92/2020 (RCMS 2020/00163) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नं. 48एफ/310996) बनाम जिला पंजीयन अधिकारी – उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 से लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार जिला पंजीयन अधिकारी – उप पंजीयक, श्रीगंगानगर पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने एवं हर्जाना तथा वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. पंजीयन अधिनियम की जिस धारा मे सहवन शब्द का उल्लेख किया हुआ है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. स्टाम्प अधिनियम में सहवन शब्द का उल्लेख किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित की प्रति।
3. लिपिकीय त्रुटि ... संशोधित किये जाने के संबंध में नियम में अंकित धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. दस्तावेज को प्रस्तुत करने के उपरान्त व निष्पादन के उपरान्त सहवन शब्द के आधार पर संसोधित किये जाने के सम्बन्ध में नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति व इस सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 29.06.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

बिन्दु संख्या 1 से 4 के सम्बन्ध में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने यान करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना के अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। सूचना के अर्थ में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना का निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टाम्प एक्ट एवं पजीयन रूल्स हेतु विभाग की वेबसाइट http://igrs.rajaasthan.gov.in/act-and-rules.htm से जानकारी प्राप्त करें।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:15 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर